उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–1
संख्या– /XXII(1)/2015–4(11)2014
दिनांक : 16 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग सोशल मीडिया और वेबसाइट विज्ञापन नियमावली, 2015 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है; अर्थात

नियम–5 का संशोधन – मूल नियमावली में नियम–5 के उपनियम जो स्तम्भ–1 में दिये गये हैं के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5 (ख) श्रेणी वेबसाइटों के लिए	**5 (ख) श्रेणी वेबसाइटों के लिए**
(1) वेबसाइट न्यूनतम तीन वर्ष पुरानी हो तथा समान नाम व समान Ownership में तीन वर्ष से सकिय हो।	(1) वेबसाइट न्यूनतम छः माह पुरानी हो तथा समान नाम व समान Ownership में छः माह से सकिय हो।
(2) वेबसाइट की Mininum Average Unique Visitor (उत्तराखण्ड में) संख्या प्रतिमाह (सूचीबद्धता से ठीक तीन माह पूर्व के आंकड़ो के आधार पर) 10000 से कम न हो।	(2) वेबसाइट की Mininum Average Unique Visitor (ग्लोबल) संख्या प्रतिमाह तीन हजार से कम न हो।
(3) बिन्दु संख्या 2 के संबंध में वेबसाइट के यूनिक यूजर बेस का निर्धारण गूगल एनालिकटिक डाटा के आधार पर होगा और वेबसाइटों को यह डाटा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड को नियमित रूप से प्रदान करना होगा। **यह डाटा वेबसाइट आडिटर्स द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है**। सूचना विभाग आवश्यकता पड़ने पर किसी तृतीय पक्ष से उस डाटा की जांच करा सकता है।	(3) वेबसाइट के यूनिक यूजर बेस का निर्धारण गूगल एनालिटिक डाटा के आधार पर होगा और वेबसाइटों को यह डाटा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड को नियमित रूप से प्रदान करना होगा। **डाटा की सत्यता के लिए वेबसाइट द्वारा शपथ पत्र दिया जायेगा**। सूचना विभाग आवश्यकता पड़ने पर किसी तृतीय पक्ष से उस डाटा की जांच करा सकता है।
(4) केवल उन्हीं वेबसाइट को सूचीबद्ध किया जायेगा जिनका संचालन उत्तराखण्ड में पंजीकृत कम्पनियों/संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो तथा यह पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना हो।	(4) केवल उन्हीं वेबसाइटों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिनका संचालन करने वाली कम्पनी/संस्था/व्यक्ति का निवास/ कार्यालय उत्तराखण्ड में स्थित हो।
(5) सरकारी वेबसाइटें स्वतः सूचीबद्व मानी जायेंगी यदि वे सूचना विभाग की दरों पर कार्य करने के लिए सहमत हो।	(5) सरकारी वेबसाइटें स्वतः सूचीबद्व मानी जायेंगी यदि वे सूचना विभाग की दरों पर कार्य करने के लिए सहमत हो।
	(क) डीएवीपी में सूचीबद्व वेबसाइटों को डीएवीपी दरों पर विज्ञापन दिया जा सकता है यदि वेबसाइटें डीएवीपी के मानकों के अनुरूप Visitor संख्या एवं अन्य आवश्यक विवरण प्रदान करती है।

7 **(दो)** यूनिक यूजर बेस (उत्तराखण्ड राज्य के आधार पर) वेबसाइटों को नियमानुसार श्रेणियों में विभाजित करता है :–	7 **(दो)** वेबसाइटों को निम्नानुसार श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा :–
समूह क – 25001 (पच्चीस हजार एक) यूनिक विजिटर्स प्रतिमाह से अधिक।	समूह क–20000 से अधिक यूनिक विजिटर्स प्रतिमाह।
समूह ख – 15001 (पन्द्रह हजार एक) से 25000 (पच्चीस हजार) यूनिक विजिटर्स प्रतिमाह।	समूह ख–10001 (दस हजार एक) से 20000 (बीस हजार) यूनिक विजिटर्स प्रतिमाह।
समूह ग – 10000 (दस हजार) से 15000 (पन्द्रह हजार) यूनिक विजिटर्स प्रतिमाह।	समूह ग–3000 (तीन हजार) से 10000 (दस हजार) यूनिक विजिटर्स प्रतिमाह।
7 **(तीन)** वेबसाइटों द्वारा वेब बैनरों के लिए प्रतिमाह एक मुश्त दर Top, Bottom & Side Positons के लिए बैनर साइज घोषित की जायेगी। बैनरों की तीन साइज 728×90 पिक्सल तथा 468×60 पिक्सल और 180×150 पिक्सल हेतु दरें आमंत्रित की जायेंगी।	7 **(तीन)** वेबसाइटों द्वारा बेव बैनरों के लिए प्रतिमाह एक मुश्त दर महानिदेशक द्वारा निर्धारित आकार एवं Positons (स्थान) हेतु घोषित की जायेंगी।
7 **(चार)** किसी भी बैनर साइज के लिए घोषित न्यूनतम दर (ग्रुप वार) उस ग्रुप के आधार दर (Base Rate) मानी जायेगी। आधार दर पर सूचीबद्धता हेतु कमशः उस ग्रुप में न्यूनतम दरें घोषित करने वाली वेबसाइटों को आमंत्रित किया जायेगा, जो इस दर पर सूचीबद्धता हेतु सहमत हों (Principle of first offer to lowest rate offering websites)। परन्तु किसी भी ग्रुप में अधिकतम 10 वेबसाइटों को **एक वर्ष** हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा। नियमावली प्रवृत्त होने के उपरान्त प्रथम वर्ष की सूचीबद्धता के अनुभव के आधार पर उच्च स्तरीय समिति/महानिदेशक ग्रुपवार वेबसाइटों की अधिकतम संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं।	7 **(चार)** किसी भी बैनर साइज के लिए घोषित न्यूनतम दर (ग्रुप वार) उस ग्रुप की आधार दर (Base Rate) मानी जायेगी। आधार दर पर सूचीबद्धता हेतु कमशः उस ग्रुप में न्यूनतम दरें घोषित करने वाली वेबसाइटों को आमंत्रित किया जायेगा, जो इस दर पर सूचीबद्धता हेतु सहमत हों (Principle of first offer to lowest rate offering websites)। महानिदेशक ग्रुपवार वेबसाइटों की अधिकतम संख्या को निर्धारित कर सकते हैं।

नियम–7(एक) का संशोधन – मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7**(एक)** यदि न्यूनतम यूनिक यूजर संख्या (10000 प्रतिमाह) सूचीबद्धता के उपरान्त लगातार तीन माह कम पायी जाती है तो सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है।	7**(एक)** यदि न्यूनतम यूनिक यूजर संख्या (3000 प्रतिमाह) सूचीबद्धता के उपरान्त लगातार तीन माह कम पायी जाती है तो सूचीबद्धता निरस्त की जा सकती है।

(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या– 820 (1)/XXII(1)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड ।
3. निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ/गढवाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
12. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की 200 प्रतियां सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

16.12.2015

(विनोद शर्मा)
सचिव।